

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 615 / 2010

संस्थित दि.: 16 / 08 / 2010

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

पीतरदास पिता शोभादास पनिका, उम्र 52 साल,
निवासी मोहगांव थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.). आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 28 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 427, 337(काउन्टस-2) का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 09.07.2010 को समय 15:15 बजे स्थान ऊंट घाटी मजार के पास बैहर बालाघाट रोड थाना रूपझर में लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम. पी.50 / टी.0114 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन जिप्सी क्रमांक एम.पी.03 / 5156 को नुकसान कारित करने के आशय से या संभाव्य जानते हुये उक्त वाहन से टक्कर मारकर रिष्टी कारित की तथा महेन्द्र कौशल व महेन्द्र पटेल को टक्कर मारकर उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी महेन्द्र कौशल ने दिनांक 10.07.2010 को आरक्षी केन्द्र भरबेली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 09.07.2010 को शासकीय वाहन जिप्सी क्रमांक एम.पी.03 / 5156 से बैहर जा रहा था। करीब 15:15 बजे बस क्रमांक एम.पी.50 / टी.0114 के चालक ने बस को ऊधघाटी पर तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर जिप्सी में टक्कर मार दी जिससे उसे तथा महेन्द्र पटेल को चोटे आयी और जिप्सी के कांच टूट-फूट गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से 0 / 10 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था जिस पर थाना रूपझर की

पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 77 / 10 की कायमी कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 427 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 427, 337 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 09.07.2010 को समय 15:15 बजे स्थान ऊंट घाटी मजार के पास बैहर बालाघाट रोड थाना रूपझर में लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/टी.0114 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- (2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन जिप्सी क्रमांक एम.पी.03/5156 को नुकसान कारित करने के आशय से या संभाव्य जानते हुये उक्त वाहन से टक्कर मारकर रिष्टी कारित की ?
- (3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/टी.0114 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर महेन्द्र कौशल व महेन्द्र पटेल को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

- :: सकारण निष्कर्ष :: -विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी महेन्द्र कौशल (अ.सा. 1) का कहना कि घटना जुलाई 2010 की दोपहर के समय की है। वह बालाघाट से बैहर जिप्सी में आ रहे थे रास्ते में ऊधघाटी के पास मोड़ पर बस के चालक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उनकी गाड़ी पीछे हो गई और उसके पैर में चोट आई तथा उनके साथ बैठे महेन्द्र पटेल को भी चोट आयी थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 उसकी निशादेही पर तैयार किया था। उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक के.सी.पटले (अ.सा. 7) का कहना है कि उसने दिनांक 11.07.2010 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये अपराध क्रमांक 77/10 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी महेन्द्र कौशल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था एवं क्षतिग्रस्त वाहन को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी पीतरदास से एक वाहन बस क्रमांक एम.पी.50-ई.0114 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 तैयार किया था। फरियादी महेन्द्र कौशल एवं साक्षी गोपाल धुर्वे, राजेश मेश्राम एवं महेन्द्र पटेल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दामेन्द्र तुरकर (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 10.07.2010 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये पुलिस थाना भरवेली के अपराध क्रमांक 0/10 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट असल नम्बर हेतु भरवेली के आरक्षक दिनेश क्रमांक 322 के द्वारा लाये जाने पर उसने अपराध क्रमांक 77/2010 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं धारा 184 मोटर

व्हीकल एक्ट में असल कायमी की थी, जो प्रदर्श पी-07 है।

(09) अभियोजन साक्षी महेन्द्र पटेल (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग डेढ़ वर्ष पुरानी दोपहर के समय की है। वह ड्रायवर के साथ जिप्सी वाहन से बालाघाट से बैहर आ रहा था। रास्ते में ऊधघाटी के मोड़ पर उनका वाहन बस से टकरा गया, जिससे उन्हें चोट आयी और गाड़ी का नुकशान हुआ। बस तेजगति से होने के कारण मोड़ को काट नहीं पायी जिससे दुर्घटना हुई। दुर्घटना में बस के चालक की गलती थी।

(10) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.मिश्रा (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 09.07.2010 को जिला अस्पताल बालाघाट में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुये पुलिस थाना भरवेली के आरक्षक क्रमांक 508 दुर्गाप्रसाद के द्वारा आहत महेन्द्र कौशल पिता प्रेमलाल, उम्र 40 साल निवासी गुजरी चौक बालाघाट को परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत का परीक्षण किया था। उसने आहत के परीक्षण में दाहिने घुठने पर 5 से.मी. आकार की खरौंच एवं दर्द व सूजन होना पाया था। आहत को आई चोट बोथरे वस्तु से आई थी जो उसके परीक्षण के छः घण्टे के अन्दर की थी जिसे उसने हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास रिफर किया था। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-04 है। उसी आरक्षक द्वारा आहत महेन्द्र पटेल पिता सूक्कूलाल, उम्र 33 साल निवासी पुलिस लाईन बालाघाट को लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने घुठने पर 5 से.मी. आकार की खरौंच, बांये एड़ी पर 2X1 से.मी. आकार की ब्रूज, दाहिने अग्र भुजा पर 5X5 से.मी. आकार की खरौंच होना पायी थी। आहत को आई सभी चोटे उसके परीक्षण के छः घण्टे के अन्दर की थी तथा सभी चोटे बोथरी वस्तु से आई थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(11) अभियोजन साक्षी गोपालसिंग धुर्वे (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से 12-13 माह पुरानी दोपहर के समय ऊधघाटी के पास की है। वह मोटरसायकिल से बालाघाट से बैहर आ रहा था। उसके सामने जिप्सी जा रही थी। ऊधघाटी उसके जिप्सी के विपरीत दिशा से आने वाली बस से जिप्सी की टक्कर हो गई थी। बस तेजगति से चल रही थी। एक्सीडेंट में बस के चालक की गलती थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

(12) अभियोजन साक्षी राजेश मेश्राम (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना वर्ष 2011 बरसात के समय दोहपर के समय की है। वह उकवा से बालाघाट बस में जा रहा था तो बंजारी घाटी के पास अचानक टक्कर की आवाज आई तो बस रुक गई तो बस में सावर यात्रियों ने तथा उसने उतरकर देखा तो बस और जिप्सी की टक्कर हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(13) अभियोजन साक्षी फागूलाल (अ.सा. 8) का कहना है कि उसके समक्ष आरोपी की गिरफ्तारी एवं जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु प्रदर्श पी-08 एवं 09 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर आरोपी को झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी महेन्द्र कौशल (अ.सा. 1) का कहना कि घटना जुलाई 2010 की दोपहर के समय की है। वह बालाघाट से बैहर जिप्सी में आ रहे थे रास्ते में ऊधघाटी के पास मोड़ पर बस के चालक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उनकी गाड़ी पीछे हो गई और उसके पैर में चोट आई तथा उनके साथ बैठे महेन्द्र पटेल को भी चोट आयी थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 उसकी निशादेही पर तैयार किया था। उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक के.सी.पटले (अ.सा. 7) का कहना है कि उसने दिनांक 11.07.2010 को थाना रूपझर में

सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये अपराध क्रमांक 77/10 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी महेन्द्र कौशल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था एवं क्षतिग्रस्त वाहन को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी पीतरदास से एक वाहन बस क्रमांक एम.पी.50-ई.0114 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-08 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 तैयार किया था। फरियादी महेन्द्र कौशल एवं साक्षी गोपाल धुर्वे, राजेश मेश्राम एवं महेन्द्र पटेल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दामेन्द्र तुरकर (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 10.07.2010 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये पुलिस थाना भरवेली के अपराध क्रमांक 0/10 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट असल नम्बर हेतु भरवेली के आरक्षक दिनेश क्रमांक 322 के द्वारा लाये जाने पर उसने अपराध क्रमांक 77/2010 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट में असल कायमी की थी, जो प्रदर्श पी-07 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) अभियोजन साक्षी महेन्द्र पटेल (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग डेढ़ वर्ष पुरानी दोपहर के समय की है। वह ड्रायवर के साथ जिप्सी वाहन से बालाघाट से बैहर आ रहा था। रास्ते में ऊधघाटी के मोड़ पर उनका वाहन बस से टकरा गया, जिससे उन्हें चोट आयी और गाड़ी का नुकशान हुआ। बस तेजगति से होने के कारण मोड़ को काट नहीं पायी जिससे दुर्घटना हुई। दुर्घटना में बस के चालक की गलती थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.मिश्रा (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 09.07.2010 को जिला अस्पताल बालाघाट में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुये पुलिस थाना भरवेली के आरक्षक क्रमांक 508 दुर्गाप्रसाद के द्वारा आहत महेन्द्र कौशल पिता प्रेमलाल, उम्र 40 साल निवासी गुजरी चौक बालाघाट को परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत का परीक्षण किया था। उसने आहत के परीक्षण में

दाहिने घुठने पर 5 से.मी. आकार की खरौंच एवं दर्द व सूजन होना पाया था। आहत को आई चोट बोथरे वस्तु से आई थी जो उसके परीक्षण के छः घण्टे के अन्दर की थी जिसे उसने हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास रिफर किया था। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-04 है। उसी आरक्षक द्वारा आहत महेन्द्र पटेल पिता सूक्कूलाल, उम्र 33 साल निवासी पुलिस लाइन बालाघाट को लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने घुठने पर 5 से.मी. आकार की खरौंच, बांये एड़ी पर 2X1 से.मी. आकार की ब्रूज, दाहिने अग्र भुजा पर 5X5 से.मी. आकार की खरौंच होना पायी थी। आहत को आई सभी चोटे उसके परीक्षण के छः घण्टे के अन्दर की थी तथा सभी चोटे बोथरी वस्तु से आई थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) अभियोजन साक्षी गोपालसिंग धुर्वे (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से 12-13 माह पुरानी दोपहर के समय ऊधघाटी के पास की है। वह मोटरसायकिल से बालाघाट से बैहर आ रहा था। उसके सामने जिप्सी जा रही थी। ऊधघाटी उसके जिप्सी के विपरीत दिशा से आने वाली बस से जिप्सी की टक्कर हो गई थी। बस तेजगति से चल रही थी। एक्सीडेंट में बस के चालक कि गलती थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(21) अभियोजन साक्षी राजेश मेश्राम (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना वर्ष 2011 बरसात के समय दोहपर के समय की है। वह उकवा से बालाघाट बस में जा रहा था तो बंजारी घाटी के पास अचानक टक्कर की आवाज आई तो बस रुक गई तो बस में सावर यात्रियों ने तथा उसने उतरकर देखा तो बस और जिप्सी की टक्कर हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(22) अभियोजन साक्षी फागूलाल (अ.सा. 8) का कहना है कि उसके समक्ष आरोपी की गिरफ्तारी एवं जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु प्रदर्श पी-08 एवं 09 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(23) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी, महेन्द्र कौशल (अ.सा. 1), महेन्द्र पटेल (अ.सा. 2), गोपालसिंग धुर्वे (अ.सा. 3), डॉक्टर आर.के.मिश्रा (अ.सा. 4), दामेन्द्र तुरकर (अ.सा. 6), उपनिरीक्षक के.सी.पटले (अ.सा. 7) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये तथा साक्षी राजेश मेश्राम (अ.सा. 5) एवं फागूलाल (अ.सा. 8) के कथनों से भी अभियोजन के प्रकरण की आंशिक पुष्टि होती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों को अविश्वासनीय कहा जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथन से आरोपी ने दिनांक 09.07.2010 को समय 15:15 बजे स्थान ऊंट घाटी मजार के पास बैहर बालाघाट रोड थाना रूपझर में लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/टी.0114 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं महेन्द्र कौशल व महेन्द्र पटेल को टक्कर मारकर उपहति कारित की यह तो परिलक्षित होता है। किन्तु रिष्टी कारित हुई ऐसे तथ्यों का सर्वथा अभाव है।

(24) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 09.07.2010 को समय 15:15 बजे स्थान ऊंट घाटी मजार के पास बैहर बालाघाट रोड थाना रूपझर में लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/टी.0114 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं महेन्द्र कौशल व महेन्द्र पटेल को टक्कर मारकर उपहति कारित की। किन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने वाहन जिप्सी क्रमांक एम.पी.03/5156 को नुकसान कारित करने के आशय से या संभाव्य जानते हुये उक्त वाहन से टक्कर मारकर रिष्टी कारित की।

(25) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्ट्स-2) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(26) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित

जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(27) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(28) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(29) आरोपी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

(30) आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(31) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(32) आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 (काउन्ट्स-2) के आरोप में प्रत्येक आहत के लिये 500/- (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(33) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/टी.0114 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो।

अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जाये।

(34) निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)